

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26/10/25

पत्रावली पेश। वकू उफ. वास्ते बहल दिनांक 11/11/25 को पेश हो।



11-11-25

पीठारीन अधिकारी अन्य कार्यों में

व्यस्त है। पत्रावली विनांक... 26/11/25

को पेश हो।



26/11/25

पत्रावली पेश। वकू उफ. बहल वकू की सुनी गई। जवाब अज्ञात व TDR रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सुतालिक TDR रिपोर्ट दि. 21/5/24 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वकी ग्राम राजगढ़ के आराजी खान सरवा 179 खसरा सं. 3699/0.49 किस्म लालाह I काली देवी के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी खान सरवा सं. 3724/0.60 हे० किस्म जें० मु. टीला खाना सं. 1 में से होकर शान्ता खाहा गया है व खसरा सं. 3724 नगर पालिका के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा सं. 3724 जें० मु. टीला जो प्रतिलिखित भौजी का किस्म है इसलिए शान्ता दिया जाना उचित प्रतिलिखित नहीं होता है। अतः

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

आदेश है कि

शा. पत्र शा. शा. अन्तर्गत द्वारा 251-क
शा. का अधिनियम में -वादे गये शा. शा.
के आराजी खसरा सं. 3724 किस्म
जं. मु. हीला सिवायचक उतिलानिबत
श्रीणी का होने के कारण खारीज /
आन्वीकार किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26/11/25
को सुले न्यायालय में सुनाया गया।

पञ्जावली नम्बर से कम होकर बाद
पुति जमा लेख मणार है।

